

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 99/2026

राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा कलेक्टर सर्किल, झुंझुनूं ( राज० ) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

— प्रार्थी बैंक

**बनाम**

1. श्री करण सिंह पुत्र स्व० श्री प्रभूसिंह, ग्राम पोस्ट देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं ( राज० )  
—333041
2. स्व० श्री प्रभूसिंह पुत्र श्री मेघ सिंह के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण ग्राम पोस्ट देरवाला,  
तहसील व जिला झुंझुनूं ( राज० )—333041
3. नेन कंवर पत्नी स्व० श्री प्रभूसिंह, ग्राम पोस्ट देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं ( राज० )  
—333041
4. श्री रणवीर सिंह पुत्र स्व० श्री प्रभूसिंह, ग्राम लामोरे, तहसील राजगढ़ व जिला चूरु ( राज० )  
331023
5. श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री मनोज सिंह ( पुत्री स्व० श्री प्रभूसिंह ), ग्राम तारानगर, तहसील व  
जिला चूरु ( राज० ) 331023

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद पश्चात् "एक्ट" से संबोधित किया गया है, दृष्टिबंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुदगी बाबत्।

उपस्थित:-

एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा - प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को होम लोन खाता सं० 21486015575 में दिनांक 20.08.2020 को रु. 15,00,000/- एवं टॉप-अप लोन खाता सं० 21486019240 में दिनांक 22.11.2022 को रु. 10,00,000/- इस प्रकार दोनों खातों में कुल रु. 25,00,000/- की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणियों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री प्रभूसिंह पुत्र श्री मेघ सिंह की ग्राम व पोस्ट देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित आवासीय सम्पत्ति ( बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 499.375 वर्गगज ) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाते दिनांक 29.09.2025 को एनपीए घोषित कर दिये गये व अप्रार्थी/ऋणी के होम लोन खाता सं० 21486015575 में रु. 13,44,692/- एवं टॉप अप लोन खाता सं० 21486019240 में रु 8,17,336.69/- इस प्रकार दोनों खातों में कुल

  
जिला कलेक्टर झुंझुनूं

रु. 21,62,028.69/- दिनांक 31.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च निकलते हैं। उक्त ऋण खाते दिनांक 29.09.2025 को एनपीए घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह-ऋणी को दिनांक 18.11.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर ऋण राशि होम लोन खाता सं. 21486015575 में रु. 13,44,692/- एवं टॉप अप लोन खाता सं0 21486019240 में रु 8,17,336.69/- इस प्रकार दोनों खातों में कुल रु. 21,62,028.69/- दिनांक 31.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अन्तरण (नीलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरण :- श्री प्रभूसिंह पुत्र श्री मेघ सिंह की ग्राम व पोस्ट देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित आवासीय सम्पत्ति ( बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 499.375 वर्गगज ) पंजीकरण के भीतर उप जिला झुंझुनूं और जिला झुंझुनूं ( राज0 )

पूर्व में - श्री सांवरमल ब्राह्मण की सम्पत्ति  
पश्चिम में - आम रास्ता 12 फीट का,  
उत्तर में - श्री नन्दलाल महानज की सम्पत्ति  
दक्षिण में - श्री हरिसिंह नरुका की सम्पत्ति

बैंक की सूचना के अनुसार उक्त बन्धक सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अंतरण (नीलामी) हेतु सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आदेश फरमाने की कृपा करें।


बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

जिला क्लरक झुंझुनूं

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई श्री प्रभूसिंह पुत्र श्री मेघ सिंह की ग्राम व पोस्ट देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित आवासीय सम्पत्ति ( बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 499.375 वर्गगज ) है का पजेशन प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ० अरुण गर्ग )  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं